M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल,मालवीय नगर, भोपाल
Phone: HO 0755 2761392 Babai Farm 07574 259436

क्रमांक / मुख्या / बाबई–44 / 10 दिनांक 20.01.2010

खाद्यान्न विक्रय हेतु दर प्रस्ताव आमंत्रण

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई जिला होशंगाबाद में उपलब्ध निम्नलिखित अनग्रेडेड खाद्यान्न ''जहां है जैसा है'' के आधार पर विक्रय हेतु इच्छुक ऑफरकर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद दर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	खाद्यान्न का नाम	किस्म	श्रेणी	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	धान	1121	अनग्रेडेड	2300.00	2,00,000.00	500.00

उपलब्ध खाद्यान्नों का नमूना निगम के बाबई प्रक्षेत्र में कार्यालीयन समय में देखा जा सकता है । निर्धारित प्रपत्र का मूल्य जमा कर प्रपत्र निगम मुख्यालय अथवा बाबई प्रक्षेत्र से दिनांक 05.02.2010 को अपरान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है, जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे तक निगम के पंचानन भवन स्थित मुख्यालय में रखे गए टेन्डर बाक्स में मय धरोहर राशि के प्राप्त किए जाएंगे तथा इसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित आफरकर्ताओं के समक्ष खोले जायेंगे । बिना धरोहर राशि के प्राप्त किसी भी दर प्रस्ताव को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा । धरोहर राशि का बैक ड्राफ्ट ''एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो.लिमि'' के नाम से भोपाल देय हो, संलग्न किया जाए । किसी भी दर प्रस्ताव को पूर्णतः / आंशिक रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा ।

उपमहाप्रबन्धक(बाबई)

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर भोपाल

खाद्यान्न विक्रय हेतु आमंत्रित दर प्रस्ताव की शर्ते

1. धान किस्म 1121 को इस दर प्रस्ताव में ''खाद्यान्न'' लिखा गया है ।
2. विक्रय की जाने वाली सामग्री का नमूना तथा निर्धारित शर्ते निगम के बाबई प्रक्षेत्र बाबई में प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 4.00 बजे तक देखी जा सकती हैं ।
3. इच्छुक क्रेता अपना दर प्रस्ताव दिनांक 05.02.2010 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निगम के पंचानन भवन स्थित मुख्यालय में उपलब्ध टेन्डर बाक्स में मय धरोहर राशि के जमा कर सकेंगे । दर प्रस्ताव संबंधी प्रपत्र जारी करने, प्राप्त करने की समय सीमा पृष्ठ क्रमांक 2 में उल्लेखानुसार रहेगी ।
4. विक्रय की जाने वाली सामग्री पर लगने वाले सभी प्रकार के कर, शुल्क, चुंकी एवं मंडी टेक्स इत्यादि के लिए इच्छुक क्रेता उत्तरदायी रहेगें । निगम को दी गई दर में उपरोक्त सभी राशियां सम्मिलित नहीं मानी जाएगी ।
5. बिना धरोहर राशि के प्राप्त किसी भी दर प्रस्ताव को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा ।
6. धरोहर राशि बैक ड्राफ्ट के माध्यम से जो ''एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो.लिमि'' के नाम से भोपाल देय हो, सलग्न की जाना अनिवार्य है ।
7. किसी भी दर प्रस्ताव को पूर्णतः/आंशिक रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा ।
8. समस्त खाद्यान्न निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई जिला होशंगाबाद में उपलब्ध है विक्रय की जाने वाली सामग्री ''जहां है जैसी है'' के आधार पर विक्रय की जाएगी।
9. दरें प्रपत्र क्रमांक 2 में प्रस्तुत की जायेगी जिसे लिफाफा क्रमांक 2 में रखा जायेगा । लिफाफा क्र 1 एवं लिफाफा क्र. 2 पर निविदाकार स्वयं का नाम एवं पता आवश्यक रूप से लिखे तथा इन दोनों लिफाफों को एक बडे लिफाफें में रखा जाय तथा सीलबंद किया जाय । बडे लिफाफे पर ''धान, सरसो, मटर,सेम,पालक एवं धनिया हेतु निविदा'' लिखा जाए । सर्वप्रथम लिफाफा क्रमांक 1 खोला जायेगा जिसमें प्रपत्र क्रमांक 1 के संभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं संकल्प धन राशि की जांच की जायेगी । दोनों कार्यवाहियां पूर्ण होने पर ही लिफाफा क्रमांक 2 खोला जायेगा ।
10. दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि आफरकर्ता द्वारा विक्रय की जाने वाली सामग्री के नमूनों को देख लिया है तथा निगम द्वारा निर्धारित शर्तो से सहमत होकर दर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।
11. दर प्रस्ताव स्वीकृति की जानकारी/प्रतिप्रस्तावित दर (यदि निगम द्वारा आवश्यक समझा जाए) अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले आफरकर्ता को लिखित में दी जाएगी । पत्र दिनांक के 7 दिवस के अंदर संबंधित आफरकर्ता को सूचित की गई राशि के अनुसार कुल देय राशि के 15 प्रतिशत के बराबर की राशि 7 दिवस में निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी बाबई को बैक ड्राफट जो भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, बाबई को देय हो, के माध्यम से जमा करनी होगी । तत्पश्चात् अनुमोदित

आफरकर्ता जिस दिन जितना स्कंध उठायेगे, उसकी पूर्ण राशि निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी के पास अग्रिम जमा करेगें एवं राशि प्राप्त होने के पश्चात ही निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी बाबई सामग्री को उठाने की अनुमति देगें ।

12. दर प्रस्ताव में जो मात्रा उल्लेखित की गई है वह अनुमानित है, उसमें 10 प्रतिशत के बराबर कम या ज्यादा मात्रा को मान्य किया जाएगा, इससे अधिक अंतर होने की दशा में निगम के प्रबंध संचालक द्वारा निर्णय लिया जाएगा जो सभी संबंधितों को मान्य होकर बंधनकारी होगा ।
13. उपलब्ध सामग्री के अंतिम लाट को प्राप्त करते समय आफरकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि एवं 15 प्रतिशत राशि खाद्यान्न के मूल्य से समायोजित किया जा सकेगा ।
14. यदि आफरकर्ता द्वारा निगम की लिखित सूचना पत्र के दिनांक से 7 दिवस के अंदर खाद्यान्न मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो ऐसे आफरकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि को निगम द्वारा जप्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाएगा ।
15. आफरकर्ता जिनका दर प्रस्ताव मान्य कर लिया गया है तथा जिनके द्वारा उपरोक्तनुसार 15 प्रतिशत राशि जमा कर दी है, उन्हें दिनांक **05.03.10** तक सम्पूर्ण खाद्यान्न आवश्यक रूप से उठाना होगा । यदि इस दिनांक तक अनुमोदित आफरकर्ता द्वारा सम्पूर्ण सामग्री नहीं उठाई जाती है तो आफरकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि एवं 15 प्रतिशत राशि जप्त की जा सकती है, ऐसी दशा में निगम के प्रबंध संचालक को अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर प्रक्रिया का निर्धारण कर शेष बची हुई सामग्री को विक्रय कर दें । अनुमोदित आफरकर्ता जिसकी दरें स्वीकार की गई थी तथा जिन्हें सम्पूर्ण सामग्री निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक **05.03.10** तक उठानी थी, को कोई आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा ।
16. बारदाना बदलना, परिवहन, ट्रक पर चढाई तथा परिवहन इत्यादि के समस्त व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किये जाऐगे । विक्रय की जाने वाली सामग्री की तुलाई निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी बाबई या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अनुमोदित आफरकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष करवाई जाएगी । तुलाई का समस्त व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । निगम द्वारा कोई बारदाना प्रदाय नहीं किया जाएगा ।
17. जिस फर्म/व्यक्ति द्वारा दिया गया दर प्रस्ताव मान्य किया गया है, उसी के नाम से निगम द्वारा देयक जारी किये जाएगे ।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निगम के उपमहाप्रबंधक (बाबई) को प्रस्तुत किया जाएगा । उपमहाप्रबंधक (बाबई) के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाएगा जो आर्बीट्रेटर के रूप में निर्णय देगें । आर्बीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये निर्धारित न्यायालय होगा ।

उपमहाप्रबंधक (बाबई)

प्रपत्र कमांक-2

कमांक /   दिनांक ....

प्रति,

उप महाप्रबंधक(बाबई)
एम पी स्टेट एग्रो इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लिमि.,
मुख्यालय–भोपाल ।

विषयः–निविदा प्रेषित करने बाबत् ।

खाद्यान्न के विकय हेतु आमंत्रित निविदा के अनुसार समस्त निर्धारित नियम एवं शर्तो को मान्य करते हुए निम्नानुसार दरें प्रस्तुत कर रहा हूं :–

क.	खाद्यान्न का नाम	किस्म	श्रेणी	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	दर प्रति क्विंटल (कर अतिरिक्त)	
					अंको में	शब्दों में
1.	धान	1121	अनग्रेडेड	2300.00		

धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट कं0.. दिनांक .... रूपये ....(रूपये...) जो एम पी स्टेट एग्रो इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लिमि. के नाम से देय हो, इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करें ।

निविदाकार के हस्ताक्षर...

1. नाम...
2. पता...

....

3. दूरभाष कं...............................

(लिफाफा कमांक 2 में रखा जाए)

निविदा प्रपत्र जारी करने की निर्धारित समय सीमा

दिनांक 5.02.10

अपरान्ह 1.00 बजे तक

सीलबंद निविदा प्रपत्र निगम मुख्यालय में जमा करने की समय सीमा –

दिनांक 05.02.09

अपरान्ह 3.00 बजे तक

प्राप्त निविदा खोलने की समय सीमा

दिनांक 05.02.10

अपरान्ह 3.30 बजे